बिहार-विधान-सभा वादवृत्त।

सोमवार, तिथि १९ फरवरी, १९५१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि १९ फरवरी, १९५१ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिहार राज्य में भूखमरी।

*२४१। श्री शक्ति कुमार—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) सन् १९५० में बिहार-राज्य में कुल कितनी भूखमरी हुई है;

(ख) यदि (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो भूख के कारण मरे हुए लोगों के नाम जाति और पता क्या हैं;

(ग) अन्नाभाव के कारण भूखमरी रोकने के लिए सकार ने अबतक क्या किया है और भविष्य में क्या करने जा रही है;

(घ) क्या यह सही है कि अन्नाभाव के कारण अधिकतर खेतिहर मजदूर मरे हैं;

(ङ) यदि खंड (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो अन्नाभाव से खेतिहर मजदूरों को बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है और क्या-क्या करने का विचार करती है?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) समाचार-पत्रों में अथवा अन्य प्रकार से २९६ भूखमरी की रिपोर्ट मिली थी। सरकारी तौर पर पहले ६ भूखमरी की रिपोर्ट मिली थी। परन्तु आगे जांच-पड़ताल करने पर केवल एक मृत्यु का, जो पूर्णिया जिले में भूख के कारण हुई थी, समाचार सच पाया गया।

(ख) भूख के कारण केवल नकछेदी साव की मृत्यु हुई जो कुकरांव, जिला पूर्णिया के थे।

(ग) और (ङ) पीड़ित लोगों को उपदानीय सहायता (ग्रैच्विटस रिलीफ) और विभिन्न प्रकार का ऋण देने के लिये सरकार ने वित्तीय वर्ष १९५०–५१ में, १,६३,४५,००२ रुपया मंजूर किया था। खेती के कामों के लिये भी व्यापक रूप से ऋण दिये गये। प्रत्येक जिले में एक-एक सहायता समिति (रिलीफ कमिटी) बनायी गयी थी ताकि वह सरकार के पास इस बात की सिफारिश कर सके कि भूमिहीन मजदूरों को काम देने में किसे प्राथमिकता (प्रायरिटी) दी जाय। लघु-सिंचाई-योजना, सड़क-निर्माण, सुतली-योजना, खादी-समिति को सहायता के जरिये पीड़ित-क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को काम देने की व्यवस्था की गयी है।

(घ) अधिकतर भूमिहीन मजदूर पर ही अन्नाभाव का असर पड़ा है।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २४५ तथा ३०२ से ३२९, १६ फरवरी, १९५१ को 'not reached' हुए थे।

(ख) जी नहीं। सरकार ने डाक्टरी प्रमाण-पत्र, ता० १२ अक्तूबर, १९५०, की एक प्रति देखी है जिसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि श्री छेदीलाल तेवरीवाल को गिरफ्तार करने पर हृदय-गति बन्द हो जाने से उनकी मृत्यु हो जाने का कोई खतरा है।

(ग) १९ अक्तूबर, १९५० को उनकी गिरफ्तारी के पहले तक पुलिस के सामने ऐसा कोई डाक्टरी प्रमाण-पत्र नहीं था कि गिरफ्तारी से उनकी मौत भी हो सकती है। वास्तव में अभियुक्त की मृत्यु, गिरफ्तारी से २३ दिनों के बाद हुई और ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे पता चले कि उनकी मृत्यु गिरफ्तारी के फलस्वरूप ही हुई।

श्री अनिरुद्ध सिंह की विधवा पत्नी के लिए पेंसन।

*३०५। श्री ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम महुरिया, थाना शिवहर, जिला मुजफ्फरपुर, के श्री अनिरुद्ध सिंह १९४२ के अगस्त-आन्दोलन में सैनिकों द्वारा गोली से मार डाले गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे राजनीति-पीड़ितों के परिवार को पेंशन और दूसरी क्षतिपूर्त्तियों के अतिरिक्त सरकार २,००० रुपयों की एक मोटी रकम देने को वचन-बद्ध है;

(ग) यदि खंड (ख) का उत्तर हां में है, तो क्या यह सही है कि श्री अनिरुद्ध सिंह की विधवा पत्नी को अब तक सरकार द्वारा कोई क्षति-पूर्त्ति नहीं दी गयी है;

(घ) क्या सरकार के सामने उस विधवा को २,००० रु० देने और पेंसन के रूप में मासिक भत्ता निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है?

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह:—(क) उत्तर 'हां' में है।

(ख), (ग) और (घ) विधवा से दरखास्त पाने पर सरकार ने मृत व्यक्ति की विधवा को २० रु०, पुत्री को १२ रु० और माता को १२ रु० मासिक पेंसन देने की मंजूरी दी है।

सरकार को मोटी रकम की क्षतिपूर्त्ति के लिए कोई दरखास्त नहीं मिली है। वर्त्तमान आदेशों के अधीन जब कि पेंसन की स्वीकृति दे दी गयी है, मोटी रकम की क्षतिपूर्त्ति देने का प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई ऐसी रकम मंजूर की गयी होती तो यह रूपांतरित पेंसन समझा जाता और उसके अनुसार ही मासिक पेंसन कम कर दिया जाता।

---

*३०६। श्री नन्द किशोर नारायण लाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के विभागानुसार नाम और उनका पूर्ण विवरण जिनकी १९४२ के आन्दोलन के कारण नौकरी छूट गई हो और जिन्हें अभी तक माफ (मार्जन) न किया गया हो;